

मुख्य की बड़ियां पकड़ आने के मामले में इस बीच जांच कर ली है; धीर

(ख) यदि हां, तो उसका व्योरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री श्रीरामजी देसाई) : (क) धीर (ख) मामले की जांच इतास अभी भी चल रही है

### छिपा धन

382. श्री श्रीराम सिंह :

श्री सिद्धेश्वर प्रस्ताव :

श्री बलराम सिंह :

श्री स० चं० सामन्त :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री द्वारा छिपे धन का पता लगाने के लिए उन्हें कोई योजना भेजी गई है और यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है; धीर

(ख) सरकार द्वारा उस दिशा में की गयी कार्यवाही के परिणामस्वरूप अब तक कितने छिपे धन का पता लगाया गया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री श्रीरामजी देसाई) : (क) जी हां । उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री चरण सिंह ने यह प्रस्ताव भेजा है कि सरकार को यह घोषणा कर देनी चाहिए कि जो सब नोट इस समय चल रहे हैं वे एक खास अवधि के अन्दर नये नोटों में बदलवा लिये जाने चाहिए क्योंकि उस अवधि के बाद मौजूदा मुँहसालाओं के नोटों का चलन बन्द कर दिया जायेगा । नोट देने वाले लोगों को विवरण भी देने होंगे जिनकी उचित समय पर छानबीन की जायेगी । योजना में यह सुझाव भी दिया गया है कि इस बात की घोषणा कर दी जानी

चाहिए कि यह कार्रवाई हर पांच साल पर या जरूरत होने पर उससे भी पहले की जायेगी ।

सरकार का खयाल है कि नोटों का चलन बन्द कर देने से कोई लाभ नहीं होगा । जो लोग नोट वापस करेंगे धीर साथ ही इस बात के तर्कसंगत कारण बतायेंगे कि उन्होंने वे नोट किस तरह प्राप्त किये उन्हें नोट बदलवाने की सुविधाएं देनी ही पड़ेंगी और सम्भव है कि सारे ही नोट बदलने पड़ जायें । इसके अलावा नोटों को चलन से वापस लेने से सोने, भूमि आदि के रूप में रखी गैर-हिस्ताबी सम्पत्ति की समस्या हल नहीं हो सकती ।

(ख) छिपी धामदनी का पता लगाने के लिए सरकार बराबर कोशिश करती रहती है । वित्तीय वर्षों के अनुसार जितनी छिपी धामदनी का पता लगाया गया है और जितनी धामदनी पर कर का निर्धारण किया गया है, उसका व्योरा यह है :

	(करोड़ रुपयों में)
1963-64	13
1964-65	14
1965-66	21

1966-67 के वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में सूचना अभी प्राप्त नहीं है ।

ऊपर बताये गये आंकड़ों के अलावा, लोगों ने अपनी इच्छा से छिपी धामदनी के बारे में जो सूचनाएं दी हैं उनका व्योरा नीचे दिया गया है :

(यह सूचना 31 दिसम्बर 1966 तक की है )  
(करोड़ रुपयों में)

(i) वित्त अधिनियम, 1965

(60.40 योजना) की

धारा 68 के अधीन बतायी

गयी धामदनी की वह रकम

जो पहले नहीं बतायी गयी

थी . . . . .

(फरोड़ रुपयों में)

(ii) बित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1965 की धारा 24 के अधीन बतायी गयी धामदनी की वह रकम जो पहले नहीं बतायी गयी थी . 145

(iii) प्रायकर अधिनियम के सामान्य उपबन्धों के अधीन बतायी गयी धामदनी की वह रकम जो पहले नहीं बतायी गयी थी; [देखिए प्रायकर अधिनियम, 1961 की धारा 271(4 क)] . 28

ऊपर बतायी गयी रकमों के अलावा, प्रायकर विभाग ने जो छापे मारे हैं, उनके परिणामस्वरूप काफी मात्रा में छिपी हुई धामदनी के सम्बन्ध में कर-निर्धारण किये जाने की सम्भावना है।

#### P.L. 480 Funds

383. Shri Swell:  
Shri Kikar Singh:  
Dr. Karni Singh:  
Shri Kotai Birun:  
Shri Jyotirmoy Basu:  
Shri Ramsachandra Ulaka:  
Shri Dhuleshwar Meena:  
Shri K. Pradhani:  
Shri Heerji Bhai:

Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) the total amount received during the last three years, year-wise, under PL 480; and

(b) the details of the utilization of the fund during the above period?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) The total amount received by Government of India as loans and grants from PL-480 funds during the last three financial years was

Rs. 787.78 crores. The year-wise break-up is as under:

Year	Loans	Grants
	(Rs. in crores)	(Rs. in crores)
1964-65 . . .	170.38	122.00
1965-66 . . .	80.00	60.17
1966-67 . . .	350.00	5.23
TOTAL . . .	600.38	187.40

(b) Details of the utilisation of this amount are given in the statement laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT-386/67].

#### Special Allowance to Persons Employed on Parliamentary Work

384. Shri Ram Charan: Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether Government have any proposal under consideration to give any special allowance to the non-gazetted employees, other than Assistants and U.D.Cs., who are engaged whole-time on Parliamentary work; and

(b) if not, the reasons therefor?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) No, Sir.

(b) The special allowance given to Parliamentary Assistants and U.D.Cs. is in lieu of overtime allowance. It has been given mainly because of the difficulties in fulfilling certain essential formalities for the payment of overtime allowance. Since the other non-gazetted staff engaged on Parliamentary work are not similarly placed and in their cases there is no difficulty in the payment of overtime allowance, there is no occasion for the grant of the special allowance to them.